अब सभी बीपीएल धारकों को मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे ₹80 हजार

पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के लिए थी सुविधा, अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ

भास्कर न्यूज | हांसी

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार करने के साथ ही यह मदद अब सभी बीपीएल परिवारों को प्रदान की जाएगी।

अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। अब यह सुविधा सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगी। एसडीएम डॉ. जितेंद्र अहलावत ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि कर इसे 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

जानिए... योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन, गलत जानकारी न भरें

आवेदक को सबसे पहले हरियाणा एससीबीसी. जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे आपके काम में कोई अड़चन न आए।

IndiaNewJobs.Com

Scanned with Oken Scanner